संख्या- 103 /2026 / 876 /चार-2026-2028896

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय,
लखनऊ।

संस्कृति अनुभाग **लखनऊः दिनांक 25 मार्च, 2026**

विषय- राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर में अवस्थित **ओल्ड कोठी मे कैफेटेरिया** एवं ओल्ड कोठी के एक्सटेंशन भाग में नवनिर्मित **लाइब्रेरी** की स्थापना कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या-251/उ0प्र0सं0नि0-5(163)/2024-25 दिनांक 17 मार्च, 2026 व पत्र संख्या-1137/उ0प्र0सं0नि0-5(163)/2024-25 दिनांक 26 फरवरी, 2026 के संदर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या- 147 /2025 / 1122 /चार-2025-1911175 दिनांक 28 मार्च, 2025 द्वारा राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर में अवस्थित ओल्ड कोठी मे कैफेटेरिया एवं ओल्ड कोठी के एक्सटेंशन भाग में नवनिर्मित लाइब्रेरी की स्थापना कार्य हेतु रू0 487.40 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति के सापेक्ष रू0 150.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। टेण्डर कास्ट के अनुसार परियोजना की लागत **रू0 483.29 लाख** से अवगत कराया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत परियोजना- राज्य संग्रहालय, लखनऊ परिसर में अवस्थित ओल्ड कोठी मे कैफेटेरिया एवं ओल्ड कोठी के एक्सटेंशन भाग में नवनिर्मित लाइब्रेरी की स्थापना कार्य हेतु **रू0 483.29 लाख (रूपये चार करोड़ तिरासी लाख उनतीस हजार मात्र) की संशोधित प्रशासकीय** एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, द्वितीय किश्त के रूप में चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में **रू0 309.12 लाख (रूपये तीन करोड़ नौ लाख बारह हजार मात्र)** अवमुक्त करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

3. शर्तें/ प्रतिबन्धः-

(1) थर्ड पार्टी मूल्यांकन के साथ ही एक समिति बनाकर कार्यों की जांच एवं TPI की संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। तत्पश्चात् ही भुगतान किया जाएगा। निदेशक इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि कार्य की गुणवत्ता के संबंध में एवं TPI संस्था के प्रतिनिधि के साथ प्रस्तुतीकरण किया जाएगा।

(2) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में दिये गये दिशा निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) शासनादेश संख्या- 146/2025/979/चार-2025-1911175 दिनांक 28 मार्च, 2025 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

(4) प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित अविधि में ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाये, जिससे टाईम ओवर रन एवं कास्ट ओवर रन की स्थिति उत्पन्न न हो।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर दी जा रही है, यदि मानक के संबंध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका उत्तरदायित्व निदेशक, संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा।

(6) परियोजना हेतु स्वीकृत लागत के सापेक्ष अवशेष धनराशि परियोजना निर्माण के उपरान्त गुणवत्ता से संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियमानुसार निर्गत की जायेगी।

(7) परियोजना निर्माण की गुणवत्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय/ कार्यदायी संस्था का होगा। गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ द्वारा समय-समय पर भौतिक निरीक्षण करते हुए अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा।

(8) कार्यदायी संस्था से कार्य पूर्ण होने के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायें।

(9) उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय द्वारा उक्त धनराशि कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था यू0 पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी। कार्यदायी संस्था द्वारा धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र तथा गुणवत्ता प्रमाण पत्र आदि संस्कृति विभाग, उ0 प्र0 शासन तथा उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय **रुपये 3,09,12,000.00 (रूपये तीन करोड़ नौ लाख बारह हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 092 **लेखा शीर्षक** 4202041061500 संग्रहालयों का सुदृढ़ीकरण, नवीनीकरण एवं उच्चीकरण **मानक मद** 24- वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय- ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025 दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, (यू0पी0पी0सी0एल0), लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार,जवाहर भवन, लखनऊ।
6- आहरण एवं वितरण अधिकारी- संग्रहालयाध्यक्ष, लोक कला संग्रहालय, लखनऊ।
7- परियोजना प्रबंधक, यू0पी0 प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0, निर्माण इकाई- 8, लखनऊ। ई-मेल- pm.unit8@gmail.com
8- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in